2012/0001

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प सिवाना

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या 82/2011

प्रार्थी
जसवन्तसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी सुथारों का वास,सिवाना तहसील,सिवाना

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.ग्राम पंचायत सिवाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना
2.भंवरसिंह पुत्र भोमसिंह जाति राजपूत निवासी सिवाना तहसील सिवाना

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 406 दिनांक 26.12.2004 जो ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी अनुपस्थित, अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ग्राम सेवक सिवाना उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित।

निर्णय दिनांक 14.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 भंवरसिंह ने एक आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष पेश कर जाहिर किया कि ग्राम सिवाना के बमोहल्ला सुथारों का वास वार्ड संख्या 07 में उसके स्वामित्व का एक सौ वर्ष से पूर्व पूर्वजों से पुश्तैनी कब्जा सुदा मकान पर रहवास है। जिसका पुराना पुश्तैनी कब्जा के आधार पर मकान का विक्रय विलेख पट्टा जारी करने की कृपा करावें। इस पर ग्राम पंचायत सिवाना ने पत्रावली संख्या 65 कायम कर अप्रार्थी भंवरसिंह के नाम नियम 157(1)(ख) के तहत संकल्प संख्या 04 दिनांक 20.09.2004 के अनुसरण में पट्टा संख्या 406 दिनांक 26.12.2004 को जारी कर दिया। प्रार्थी का यह कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी पट्टा की भूमि आपसी बंटवाडा की भूमि है, जिस जिस पर प्रार्थी का कब्जा है। इस पट्टा विलेख को आपसी बंटवाड़ा की भूमि एंव नियम विरूद्ध जारी होना बताते हुए प्रार्थी ने यह धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत सिवाना से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निगरानी के पद संख्या 01 से 08 गलत होने से अस्वीकार करते हुए निगरानी सव्यय खारिज करने का निवेदन किया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिवाना में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी अनुपस्थित रहे। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ग्राम सेवक सिवाना उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 02 एंव अधिवक्ता उपस्थित।

5. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत सिवाना से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन किया कि वादग्रस्त पट्टा की भूमि उसकी संयुक्त परिवार के आपसी बंटवाड़ा की भूमि है जिस पर अप्रार्थी के हक मे पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने नियमो में निर्धारित प्रकिया को नहीं अपनाते हुए एंव प्रार्थी की भूमि पर पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी भंवरसिंह ने मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया है। इस आवेदन पत्र पर नक्शा भी पेश किया गया हैं। सरपंच ने इस आवेदन को पंचायत की बैठक में रखने के आदेश दिये हैं। जिस पर पत्रावली संख्या 65 दिनांक 14.11.2002 कायम की गई है। मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। जिस पर मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की हैं। मौका कमेटी ने नियम 146 के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ मे वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत दिनांक 20.08.04 को निर्धारित प्रारूप में एक माह का नोटिस जारी कर चस्पा कराया हैं नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है। तत्पश्चात् दिनां 20.09.04 को प्रस्ताव संख्या 4 पारित कर नियम 157(1)(ख) के तहत पट्टा जारी किया गया हैं। इन नियमो के परिपेक्ष्य में विप्रार्थी पट्टा द्वारा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप के अनुरूप ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ग्राम पंचायत सिवाना ने निर्धारित प्रकिया अपनाकर,नियमों में अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में नियम 157(1)(ख) के तहत पट्टा विलेख दिनांक 26.12.2004 जारी किया है। इसमें कोई अनियमितता एव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख पर विक्रय पत्र का निष्पादन कर उप पंजीयन कार्यालय सिवाना में पंजीयन करवा दिया है जिससे अप्रार्थी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

संख्या 02 का इस पट्टा की भूमि पर स्वामित्व हासिल हो चुका हैं। ऐसी स्थिति में इस पट्टा विलेख को खारिज करने हेतु कोई ठोस आधार नही हैं। प्रार्थी पक्ष निगरानी को साबित करने में असमर्थ रहा हैं।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी सारहीन एंव आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प सिवाना में आज दिनांक 14.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर